

बेसिक/प्राथमिक स्तर की सेवायें :-

क्र. सं.	सेवायें	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	सेवा का अधिकार (ऑनलाईन/ऑफलाईन)
1	स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी०सी०)।	प्रधानाध्यापक।	07 दिवस	उप शिक्षा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
2	स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (Duplicate Certificate)	प्रधानाध्यापक।	20 दिवस	उप शिक्षा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
3	शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन।	उप शिक्षा अधिकारी।	20 दिवस	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
4	शास्ताधिक/मूल प्रमाण पत्र (Bonafide Certificate)	प्रधानाध्यापक।	15 दिवस	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
5	लेपुप स्कूल की मान्यता (Recognition of play school)	मुख्य शिक्षा अधिकारी।	135 दिवस	मण्डलीय अपर निदेशक, प्रा०शि०	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
6	R.T.E के अन्तर्गत पंजीकरण।	मुख्य शिक्षा अधिकारी।	135 दिवस	मण्डलीय अपर निदेशक, प्रा०शि०	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
7	नवीन विद्यालय संचालित करने की अनुमति।	मुख्य शिक्षा अधिकारी।	135 दिवस	मण्डलीय अपर निदेशक, प्रा०शि०	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
8	अक्षात्कीय प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5 तक की मान्यता)।	मुख्य शिक्षा अधिकारी।	135 दिवस	मण्डलीय अपर निदेशक, प्रा०शि०	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
9	अक्षात्कीय जूनियर हाईस्कूल (कक्षा 6 से 8 तक की मान्यता)।	मुख्य शिक्षा अधिकारी।	135 दिवस	मण्डलीय अपर निदेशक, प्रा०शि०	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑनलाईन
10	चरित्र प्रमाण पत्र।	प्रधानाध्यापक।	07 दिवस	उप शिक्षा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
11	प्रमाण पत्र में विशेष संशोधन जैसे (माता पिता का नाम, जन्मतिथि आदि) (Duplicate Certificate)	प्रधानाध्यापक।	20 दिवस	उप शिक्षा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	ऑफलाईन
12	अंक-तालिका उपलब्ध करना।	प्रधानाध्यापक।	परीक्षा घोषित होने/अंक तालिका तैयार होने के उपरान्त 07 कार्य दिवस के अन्तर्गत।	उप शिक्षा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	-
13	अंक-पत्र त्रुटि सुधार।	प्रधानाध्यापक।	आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त 15 कार्य दिवस के अन्तर्गत।	उप शिक्षा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	-
14	अंक-पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना।	प्रधानाध्यापक।	आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त 15 कार्य दिवस के अन्तर्गत।	उप शिक्षा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	-


 (एस०एस० चौहान)
 उप निदेशक,
 प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।